



(☎ 022-22862703)  
ई-मेल/e-mail-[irw@dae.gov.in](mailto:irw@dae.gov.in)  
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &  
2282 4354



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**  
औ. सं. एवं क. अनुभाग  
**IR&W SECTION**

अणुशक्ति भवन  
Anushakti Bhavan,  
छ. शि. म. मार्ग  
C.S.M. Marg,  
मुंबई/Mumbai - 400001

सं./No. 7/15/2015/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/OPA-2473

फरवरी February 19, 2016

**कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM**

विषय : अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) के अंतर्गत स्थाई अशक्तता (शारीरिक/मानसिक) से पीड़ित संतानों का पुनः पंजीकरण  
**Sub : Re-registration of Children under CHSS, who suffer from permanent disability (Physical/mental)**

25 वर्ष से अधिक आयु वाले शारीरिक/मानसिक अशक्तता से पीड़ित संतानों के सीएचएसएस के अधीन पुनः पंजीकरण हेतु विभाग में पत्र प्राप्त हुए हैं।

References have been received in the Department for re-registration of children beyond the age of 25 years under CHSS, who are suffering from physical/mental disabilities.

2. अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) में यह व्यवस्था है कि संतानों के अर्जन (कमाना) शुरू करने या विवाहित होने या 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, वे इस चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। मानसिक रूप से पिछड़े/शारीरिक रूप से विकलांग संतान मुख्य लाभार्थी पर आश्रित होने तक अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत पात्र बने रहेंगे। ऐसे मामले अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना नियंत्रण प्राधिकारी की संस्तुतियों पर विभाग में अनुमोदित किए जाते हैं। तथापि, ऐसे मामलों में पंजीकरण समाप्त हो जाने पर पुनः पंजीकरण की अनुमति नहीं थी।

CHSS provides that children are eligible to avail the medical facility till they start earning or get married or upto the age of 25 years, whichever is the earliest. Mentally retarded/physically handicapped children shall be eligible for continuing under the CHS scheme till such time they are depending on prime beneficiary. Such cases are approved in the Department on recommendations of the CHSS administering authority. However, re-registration after discontinuing the registration, in such cases was not allowed.

3. सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत, विभाग ने अब 25 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से पिछड़े/शारीरिक रूप से विकलांग संतानों के पुनः पंजीकरण की अनुमति देने का निर्णय लिया है बशर्ते कि वे मुख्य लाभार्थी के साथ रह रहे हों और पूर्ण रूप से आश्रित हैं तथा अशक्तता 40% से अधिक हो। ऐसे मामले संबंधित सीएचएसएस नियंत्रण इकाई [दिनांक 07/12/2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/34/2012/आईआरएण्ड डब्ल्यू (खण्ड II)/384 (प्रति संलग्न) के अनुसार] द्वारा गठित एक समिति के माध्यम से एक समय में एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए मामला दर मामला के आधार पर विभाग में अनुमोदन हेतु संस्तुत किए जाएं।

After careful consideration, the Department has now decided to allow re-registration of mentally retarded/physically handicapped children beyond the age of 25 years, provided they are residing with and fully dependent on the prime beneficiary and the disability exceeds 40%. These cases may be recommended for a maximum period of one year at a time, through a Committee constituted by respective CHSS administering Unit [as per O.M. No. 7/34/2012/IR&W(Vol.II)/384 dated 07/12/2015 (copy enclosed)], for approval in the Department on case to case basis.

श्री. पाण्डेय

(स्वाति पाण्डेय Swati Pandey)

निदेशक (आईआरएण्डडब्ल्यू) Director (IR&W)

**सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी/All CHSS Administering Authorities :**

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कलपाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कलपाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदराबाद Director, AMD, Hyderabad
- (9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCA, Indore
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC, Kolkata
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL, Mumbai
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कलपाक्कम  
Chief Medical Officer, DAE Hospital, Kalpakkam

**प्रतिलिपि Copy to :**

- (1) इकाइयों के सभी प्रमुख All Heads of Units
- (2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o chairman, AEC & Secretary, DAE
- (4) अपर सचिव के निजी सचिव, पऊवि PS to AS, DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (6) प्रशासनिक अधिकारी-III, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी AO-III, BARC Hospital, BARC
- (7) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (8) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE
- (9) सहायक निदेशक (राजभाषा), पऊवि Asst. Director (OL), DAE